

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

वेरो, मोटन बनाम मन्सिह (कारा)

किरम मुकदमा प्री-पत्र 111-120 नं० 158 सन् 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए
--------	----------------------------------	---

10-12-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 13-12-21 को पेश हो ।
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

^{13/12} पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अधिपान 2021 के पत्रावली पत्रावली जिन्हास मे पेश हुई, अधिपानिले सम्मन प्राप्त वाकिल होकर प्राप्त हुए एवं वहीलियार माण्डल से माँवा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा-क किये गये । अधिपान का अधिपान पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण से लिखा जाकर शा-क किया गया पत्रावली फाइल शुभार होकर नम्बर से रजिस्टर हो ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संन अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 158/21 प्रा.पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री बंशी शं. शास्त्री निवासी-मीम फारवेडा तहसील-मांडल (कॉप) -प्रार्थी

बनाम

1- श्री अजयसिंह शं. शास्त्री निवासी-मीम फारवेडा तहसील-मांडल (कॉप) -विपक्षीगण (सुहृदोक्ति प्रा.पत्र सं. 9)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... मीम फारवेडा... पटवार हल्का... दाता फता... तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं. 174, 175, 176, 178... कुल किता 04... रकबा... 0.9991... हेक्टेयर... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक... 10-12-21... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... मीम फारवेडा... पटवार हल्का... दाता फता... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 174, 176, 177, 178... कुल किता 04... रकबा... 0.9991... हेक्टेयर... स्थित है।

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक... साहस... को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा 2021
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021